

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

दिनेश उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

विषय:-औपबंधिक रूप से स्वीकृत ACP/MACP के संपुष्टि एवं वेतन के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-1779/वि० दिनांक 21.05.14 तथा पत्रांक 2811/वि० (अनु०) दिनांक 04.08.14 द्वारा औपबंधिक रूप से स्वीकृत ACP/MACP के संपुष्टि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

वित्त विभाग के द्वारा निर्गत उक्त संकल्प/परिपत्र के अनुसार औपबंधिक रूप से स्वीकृत ACP/MACP की संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्धारित वेतन का सत्यापन संकल्प की कंडिका-5(vii) के प्रावधान के अनुरूप कराया जाना आवश्यक है।

संकल्प के कंडिका-5(vii) के अनुसार राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मी होने के कारण कनीय अभियंताओं का ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से कराया जाना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में औपबंधिक रूप से प्रदत्त ACP/MACP की संपुष्टि हेतु विभाग में प्रस्ताव न भेजा जाए।

ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में प्रस्ताव अनुशंसा सहित विभाग को प्राप्त कराया जाय।

औपबंधिक रूप से स्वीकृत ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन के सत्यापन संबंधी प्रपत्र में हुए "औपबंधिक रूप से स्वीकृत" अंकित किया जाए।

कृपया उपर्युक्त अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

अनु०-प्रपत्र 'क' एवं 'ख'।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

9116

राँची, दिनांक :- 26-12-14

प्रतिलिपि:-उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ उप सचिव, नगर विकास विभाग/ उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

प्रोफार्मा- "क"

(2)

प्रथम/द्वितीय/तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) योजना के फलस्वरूप वेतन निर्धारण विवरणी-

1.	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	
2.	वर्तमान धारित पद/संवर्ग का नाम	
3.	संवर्ग का स्तर (राज्यस्तरीय/मुफफसिल)	
4.	संवर्ग में प्रथम नियुक्ति का पद	
5.	विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता की स्थिति (तिथि सहित) तथा विषयवार ब्यौरा।	
6.	प्रथम नियुक्ति के पश्चात् स्वीकृत नियमित प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे	(i) (ii) (iii)
7.	छटे वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 या उसके बाद स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे	(i) (ii)
8.	छटे वेतनमान में निर्धारित वेतन का सत्यापन हुआ है या नहीं?	
9.	संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति तिथि/वेतनमान/ग्रेड पे	
10.	एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति तिथि को पूर्व से प्राप्त (Existing) वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन = मूल वेतन)	
11.	एम०ए०सी०पी० के फलस्वरूप निर्धारित वेतन - (i) पूर्व से प्राप्त वेतन (Existing Pay) (ii) ग्रेड वेतन के अन्तर की राशि (iii) एक वेतनवृद्धि (3% of Existing Pay) (वेतनवृद्धि के लाभ का विकल्प अगली वेतनवृद्धि की तिथि दिये जाने पर उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय) कड़िका (i), (ii) & (iii) का योग-	
12.	अगली वेतनवृद्धि की तिथि -	

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

प्रोफार्मा- "ख"

प्रथम/द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति सन्नयन (ए०सी०पी०) योजना के फलस्वरूप वेतन निर्धारण विवर

1.	पदाधिकाारी/कर्मचारी का नाम	
2.	वर्तमान धारित पद/संवर्ग का नाम	
3.	संवर्ग का स्तर (राज्यस्तरीय/मुपफसिल)	
4.	संवर्ग में प्रथम नियुक्ति का पद	
5.	विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता की स्थिति (तिथि सहित) तथा विषयवार ब्यौरा।	
6.	प्रथम नियुक्ति के पश्चात स्वीकृत नियमित प्रोन्नति/ए०सी०पी० की तिथि एवं उनका वेतनमान	
7.	ए०सी०पी० की स्वीकृति तिथि एवं वेतनमान	
8.	ए०सी०पी० वेतनमान की स्वीकृति अगर संवर्गीय प्रोन्नति पदसोपान के वेतनमान में दी गई है तो प्रोन्नति के पदसोपान से संबंधित अभिलेख संलग्न की जाय	संलग्न अभिलेख का विवरण-
9.	ए०सी०पी० की स्वीकृति तिथि को पूर्व से प्राप्त वेतनमान एवं वेतन	
10.	ए०सी०पी० के फलस्वरूप निर्धारित वेतन- (क) 5th PRC के आलोक में (दिनांक 09.08.1999 से 30.08.2008 के बीच) (i) पूर्व में प्राप्त वेतन..... (ii) एक वेतनवृद्धि (न्यूनतम ₹100) कुल योग - (iii) ए०सी०पी० के वेतनमान में अगला प्रक्रम-- (विभागीय सेवा नियमावली के अनुरूप) (ख) 6th PRC के आलोक में (दिनांक 01.01.2006 से 30.08.2008 के बीच): (i) दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया है या नहीं? (ii) अगर उपर्युक्त कड़िका-(i) हाँ है तो ए०सी०पी० की स्वीकृति तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन = मूल वेतन) (iii) ए०सी०पी० के अपनरीक्षित वेतनमान के लिए 6th PRC में प्रतिस्थानी वेतनमान एवं ग्रेड वेतन (iv) ग्रेड वेतन के अंतर राशि (v) एक वेतनवृद्धि (3% of Existing Pay) (वेतनवृद्धि के लाभ का विकल्प अगली वेतनवृद्धि की तिथि दिये जाने पर उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय) कड़िका (ii), (iv) & (v) का कुल योग-	
11.	अगली वेतन वृद्धि की तिथि-	

कार्यालय प्रधान का